कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ शासन राजस्व विभाग रायपुर

अधिसूचना धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013

कमॉक 2h) /भू अर्जन/ 2015 रायपुर दिनॉक 18-3-2015

चुकिं राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनूसूची के खाने 6 में उनके नाम के सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक हैं अथवा आवश्यकता पडने की संभावना हैं । अतः छत्तीसगढ राजपत्र कमॉक एफ–28/7–1/2014 दिनॉक 2.3.2015 में दिये गये निर्देशानुसार भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा –1 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं ।

// अनुसूची //

भूमि का विवरण					धारा 11 अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम/ नगर	खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)		
1	2	3	4		5	6
रायपुर	रायपुर	कचना	292/2का भाग 293/3का भाग 293/1	0.061 0.043 0.036	अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी रायपुर	कचना बलौदाबाजार मार्ग निर्माण
योग			03	0.140हे0		

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

ह० 17/3/15

(ठाकुर राम सिंह)

कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव,

छत्तीसगढ शासन राजस्व विभाग रायपुर (छ0ग0)

पृ0क0 कमॉक 241 / भू अर्जन /2014 रायपुर दिनॉक 18/3/2015

500

प्रतिलिपिः–

1 सचिव, छ0ग0शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर जिला रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।

2:– नियंत्रक, शासकीय मुद्राणालय छत्तीसगढ राजनांदगॉव को छ0ग राजपत्र के भाग –1 में तत्काल प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

3. आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन,सूचना पटल में कराया जाकर उसकी एक प्रति भेजने की व्यवस्था करेगें । निगम की बैठक में विषयवस्तु के संबंध में चर्चा करने हेतु ।

4:– कार्यपालन अभियन्ता लोक निर्माण विभाग (सेतु) संभाग रायपुर को सूचनार्थ ।अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्र ,सूचना पटल में कराया उसकी एक प्रति भेजने की व्यवस्था करेगें ।साथ ही समुचित सरकार की वेबसाइड पर भी उपलोड करेगें । कार्यालयीन आदेश कमॉक 1216/ भू अर्जन/2014 दिनॉक 11.12.2014 के अनुसार भूमि अर्जन पूनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 4 के अनुसार भू अर्जन के पूर्व सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराया जाने हेतु अधिसूचना जारी किया गया था। भारत सरकार के राजपत्र दिनॉक 31.12.2014 जिसकी छायाप्रति सलंग्न है उसके अनुसार भू अर्जन के पूर्व सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन कराया जाने की आवश्यकता नहीं होने के कारण पूर्व में जारी भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013की धारा 4की अधिसूचना को निरस्त किया जाता हैं ।

–2–

5. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एंव भू अर्जन अधिकारी रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

6. प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. रायपुर को सूचनार्थ । वेबसाइड पर उपलोड करना सुनिश्चित करें ।

7. तहसीलदार रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित । अधिसूचना का प्रकाशन जिला अनुविभाग कार्यालय एवं नगर पालिक निगम , संबंधित ग्राम पंचायत /प्रभावित क्षेत्र में ऐसी रीति जैसे मुनादी कराने / जो विहित हो सूचना दिया जाकर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें ।

8. सचिव, ग्राम पंचायत तहसील को सूचनार्थ । उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में कराने हेतु सूचनार्थ ।

9:— भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 11 की कडिका (4) के अनुसार कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नही कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा

10:— भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा ।धारा 11 (5) उप धारा (1) के अधीन सूचना जारी किये जाने के पश्चात धारा 19 के अधीन घोषणा जारी किये जाने के पूर्व यथाविहित भूमि अभिलेखों को उद्यतन करने की कार्यवाही एक माह के अवधि के भीतर संबंधित तहसीलदार पूरा कर जानकारी प्रस्तुत करेगें ।

हस्ता. 17/3/15
(ठाकुर राम सिंह)
कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
छ0ग0शासन राजस्व विभाग रायपुर (छ0ग0)